

# ज़कातुल फ़ित्र को उसके समय से विलंब करना

﴿ تأخير زكاة الفطر عن وقتها ﴾

[ हिन्दी - Hindi - هندي ]

इफता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

**अनुवाद:** अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿ تأخير زكاة الفطر عن وقتها ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

Islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

**ज़कातुल फित्र को उसके समय से विलंब करना**

**प्रश्न:**

मैं एक यात्रा में था और ज़कातुल फित्र देना भूल गया, यात्रा सत्ताईसवीं रमज़ान की रात को थी और हम ने अभी तक ज़कातुल फित्र नहीं निकाली है।

**उत्तर:**

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

यदि आदमी ज़कातुल फित्र को उसके समय से विलंब कर दे और वह उसे स्मरण है (अर्थात् भूलकर ऐसा नहीं किया है) तो वह गुनाहगार (दोषी) है, और उसके ऊपर अल्लाह से तौबा करना और उसकी कज़ा करना अनिवार्य है ; क्योंकि वह एक इबादत है। अतः वह समय निकल जाने के कारण समाप्त नहीं होगी जैसेकि नमाज़ का मामला है, और चूँकि प्रश्न कर्ता महिला के बारे में उल्लेख किया गया है कि वह उसे उसके समय पर निकालना भूल गई थी, इसलिए उस पर कोई गुनाह नहीं है, और उसके ऊपर कज़ा करना अनिवार्य है।

जहाँ तक उसके ऊपर गुनाह न होने का संबंध है तो यह उन सामान्य प्रमाणों के आधार पर है जो भूलने वाले व्यक्ति से गुनाह को समाप्त कर देते हैं।

और जहाँ तक उसके ऊपर कज़ा को आवश्यक करने की बात है तो यह उस तर्क के आधार पर है जिसका पीछे उल्लेख हो चुका है। (अर्थात् वह नमाज़ के समान एक इबादत है जो समय निकल जाने से समाप्त नहीं होती)

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला (शक्ति का स्रोत) है।

इफ़्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फ़तावा (९/३७२) से।